न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राज्य मण्डल ग्वालियर

सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

20रु. Rs.20 COURT FEE INDIA चिलोपित बीस रुपये TWENTY RUPEES

101

आवेदन श्री जितेन्द्र मिश्रा द्वारा पेश 19-6-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

III / निग0 / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1808

1— रामसजीवन मिश्रा
2— मुनीन्द्र मिश्रा
3— सुरेन्द्र मिश्रा
4— जितेन्द्र मिश्रा

सभी के पिता रविकरण मिश्रा

5— श्रीमती रामवती पत्नी रविकरण मिश्रा

सभी निवासी ग्राम भॉटी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

———आवेदकगण

बनाम

लालमणि तनय मंगलराम मिश्रा, निवासी ग्राम भॉटी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) ——— अनावेदक

निगरानी विरूद्ध कार्यवाही एवं आदेश तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर रीवा दिनांक 06/06/16, 11/08/16, 27/03/16 वावत् प्रकरण क0— 215/अ—6/15—16

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :—

1— यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रकिया एवं अभिलेख के विपरीत है ।

जितेन्द्र मिश्रा

(131)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 1808 जिला–रीवा

रामसजीवन मिश्रा वगैरः / लालमणि मिश्रा

(1)	(2)
19-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री जितेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 215 / अ–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 06.06.16, 11.08.16, 27.03.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य